न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 522/2012 जीसीएमएस संख्या 2012/00044

1. शंकर लाल पुत्र प्रभात जाति गुर्जर निवासी लोबाडास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. नारायण उर्फ नानगा
2. मुरली
3. किशन सहाय
4. सुन्दर
5. दाखली पत्नी सेडूराम
6. माली राम पुत्र सेडूरामसमस्त पि0 काना जातियान जाट निवासीयान देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एकट 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.11.2009 प्रकरण सं. 69/08 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर बउनवानी नारायण बनाम सरकार

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधि0 रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –13.08.2024

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2009 उनवानी नारायण बनाम सरकार प्रकरण संख्या 69/08 के विरूद्व प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2009 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेंट 1 लगा. 6 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है, तथा प्रार्थी के पिता काना राम पुत्र मंगला राम है, परंतु हाल खसरा नंबर. 2685, 2687, 2688, 2684, में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थी के पिता की वल्दियत काना पुत्र मोजी राम दर्ज कर दिया गया, जिस को दुरूस्त किया जावें, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपीलांटको पक्षकार बिना बनाये ही तथा बिना तहसीलदार रिपोर्टके ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदार काना पत्र मौजी राम जाट के स्थान पर काना राम पुत्र मंगला राम जाट का नाम दुरुस्त दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक घोषणा का वाद उनवानी हजारी बनाम नानगा व अन्य मु. सं. 220/08, विचाराधीन है, जिस में स्थगन आदेश जारी किया गया है, तथा रेस्पो. पक्षकार है, इन सब वस्तु स्थिति की जानकारी होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर आदेश जारी किया गया है, जो निरस्तनीय हैं। नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए धारा 136 के तहत किसी व्यक्ति की खातेदारी का निर्णय नही किया जा सकता है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। यहाँ के खसरा नंबर2684, पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा अपीलांटस विवादित आराजीयात का लगान जमा कराता आ रहा है एवं मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से निर्णय पारित किया है, तथा बिना अपीलांट को सुनवाई के अवसर दिये ही इस प्रकार की कार्यवाही की गयी है। अपीलांट को अपील धीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी दिनांक 11.09.12 को अप्रार्थी मौके पर जबरन कब्जा लेने आये जिस पर अपीलांट द्वारा हल्का पटवारी से निवेदन कर राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.12 को अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सहमति लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर निर्णय दिनांक 04.11.2009 निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेंट्स 1 लगा. 6 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है, तथा प्रार्थी के पिता काना राम पुत्र मंगला राम है, परंतु हाल खसरा नंबर. 2685, 2687, 2688, 2684, में प्रार्थी के पिता की वल्दियत काना पुत्र मोजी राम दर्ज कर दिया गया, जिस को दुरूस्त किया जावें, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर खातेदार काना पत्र मौजी राम जाट के स्थान पर काना राम पुत्र मंगला राम जाट का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किरेस्पोडेंट्स 1 लगा. 6 द्वारा एक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के पिता का नाम खसरा नंबर. 2685, 2687, 2688, 2684, में काना पुत्र मोजी राम के स्थान पर काना राम पुत्र मंगला राम को दुरूस्त किये जाने के प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार काना पत्र मौजी राम जाट के स्थान पर काना राम पुत्र मंगला राम जाट का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट ने अपील में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक घोषणा का वाद उनवानी हजारी बनाम नानगा व अन्य मु. सं. 220/08, विचाराधीन है, जिस में स्थगन आदेश जारी किया गया है, तथा रेस्पो. पक्षकार है नियमित वाद के चलते खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन किया गया है तथा खसरा नंबर 2684, पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा अपीलांटस विवादित आराजीयात का लगान जमा कराता आ रहा है एवं मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा अपीलांट को बिना सुनवाई के अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136के तहत् खातेदारी अधिकारों का परिवर्तन किया गया है जबकि धारा–136 के तहत् राजस्व रिकॉर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि हो ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 04.11.2009 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार तय कराने हैं तो सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के माध्यम से ही अधिकारों का निर्धारण किया जा सकता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालयं में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर